संख्या-44/1550/30-3-14-15बी/2012

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 02 जुलाई, 2014

विषय - वाहन किराए पर लिए जाने की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-688इन्फ/2014-28इन्फ/2014, दिनॉक 24-04-2014 एवं संख्या-689इन्फ/2014-28इन्फ/2014, दिनॉक 24-04-2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा राजस्व वृद्धि हेतु प्रवर्तन कार्य के लिये वाहन किराए पर लिए जाने की व्यवस्था को दिनॉक 01-04-2014 से 30-09-2014 तक अर्थात 06 माह बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि राजस्व वृद्धि हेतु प्रवर्तन कार्य के लिये शासनादेश संख्या-2275/30-3-2012-15बी/2012, दिनॉक 30-08-2012, शासनादेश संख्या-1484/30-3-13-15बी/2012, दिनॉक 18-06-2013 एवं शासनादेश संख्या-6/131/30-3-2014-4बी/2013, दिनॉक 13-01-2014 द्वारा कुल 60 वाहन दिनॉक 31-03-2014 तक किराए पर लिए जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेशों दिनॉक 30-08-2012, 18-06-2012 एवं दिनॉक 13-01-2014 में निहित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन दिनॉक 01-04-2014 से दिनॉक 30-09-2014 तक अर्थात 06 माह की अवधि के लिये कुल 60 वाहन किराए पर लिए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष-2014-15 में अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-"3055-सडक परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद" के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0-ई-9-253/दस-2014, दिनॉक 01 जुलाई, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-44/1550(1)/30-3-2014, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in